[14/3/2022]

प्रश्न सं. [क्र. 2367]

परिशिष्ट "अ"
ताराकिंत प्रश्न क्रमांकः 2367
द्वारा–माननीय विधायक श्री संजय यादव

जिला बदर की कार्यवाही हेतु म0प्र0/छत्तीगढ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 4,5 तथा 6 में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जिला बदर की कार्यवाही के संबंध में दिशा निर्देश तथा नियम हैं।

धारा 4– के अंतर्गत व्यक्तियों का समूह तथा दलों का तितर बितर किया जाना जब कभी जिला मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि जिले में व्यक्तियों के किसी दल या समूह के आने जाने या पडाव से खतरा या संत्रास कारित हो रहा है या ऐसा आना जाना खतरा संत्रास कारित करने के लिये प्रकल्पित है या युक्ति युक्त संदेह है कि ऐसे दल या समूह या उसके सदस्यों द्वारा विधि विरूद्ध परिकल्पना की जा रही है। तो जिला मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्तियों को, जो ऐसे दल या समूह के नेता या मुखिया प्रतीत होते हैं संबोधित किये गये या डोडी पिटवाकर या अन्यथा जैसे कि जिला मजिस्ट्रेट उचित समझे प्रकाशित किये गये आदेश द्वारा ऐसे दल या समूह के सदस्यों को निदेश दे सकता है कि वे ऐसी रीति में आचरण करे जो हिंसा तथा खतरा का निवारण करने के लिये आवश्यक हो या उनमें से प्रत्येक सदस्य जिले या उसके किसी भाग या ऐसे क्षेत्र तथा उसके समीपस्थ किसी जिले या किसी भाग के बाहर ऐसे समय के भीतर चला जाये जो जिला मजिस्ट्रेट विनिर्दिष्ट करें।

धारा 5– अपराध करने के लिये आमादा व्यक्त्यों का हटाया जाना जब कभी जिला मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति के आने जाने या कार्यों से मानव शरीर या संपत्ति को खतरा , अपहानि कारित हो रही है या प्रकल्पित है या यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसा व्यक्ति किसी ऐसे अपराध के जिसमें बल या हिंसा अंर्तवलित है या भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अध्याय 12,16 या 17 या उसकी धारा 506 या 509 के अधीन दण्डनीय अपराध के करने में या ऐसे किसी अपराध के दुष्प्रेरण में संलग्न है या संलग्न होने को आमादा है।

धारा 6– कतिपय अपराधों के सिद्धदोष ठहराये गये व्यक्तियों का हटाया जाना यदि कोई व्यक्ति (क)
(1) भारतीय दण्ड संहिता 1860 12,16 या 17 या उसकी धारा 506 या 509 के अधीन दण्डनीय अपराध का सिद्धदोष ठहराया जाना
(2) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया जाना
(ख)– स्त्री तथा लडकी अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम 1956 के अधीन किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया जाना
(ग)– म0प्र0/छत्तीगढ राज्य में लागू हुये रूप में सार्वजनिक द्वैत अधिनियम 1867 (पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट) की धारा 3 या 4 के अधीन किसी अपराध का तीन वर्ष की कालावधि के भीतर तीन बार सिद्धदोष ठहराया गया हो तो जिला मजिस्ट्रेट जिला बदर की कार्यवाही हेतु निदेश कर सकता है।

२५.२
AIG of Police
CID, M.P., BHOPAL

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
गृह (पुलिस) विभाग, बी (1),
मंत्रालय, भोपाल.

Scanned with CamScanner